न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी – **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 74 / 2023
Gcms No. 2022/37

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. परमी पत्नी मालाराम जाति राईका निवासी सन्तोक नगर, ईशरू तहसील बापिणी जिला फलौदी		1. अनोपी पत्नी हडमानराम 2. चम्पा पत्नी भैराराम 3. तुलछी पत्नी जेठाराम 4. दाखु पत्नी भींखाराम 5. भंवरी पत्नी रूपाराम 6. भंवरी पत्नी रूपाराम 7. मंकु पत्नी सोनाराम 8. लाली पत्नी कानाराम 9. सुगी पत्नी सगताराम 10. सोनी पत्नी नकुराम सभी जाति राईका निवासी सन्तोक नगर तहसील बापिणी जिला फलौदी। 11. तहसीलदार बापिणी जिला फलौदी। भुमिधारी सरकार

वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(1 व 2):– श्री पवन कुमार जोशी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(3 से 10):– नैनुराम विश्नोई।
अप्रार्थीगण सख्या (11) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19 / 08 / 2025

वादी के हस्तगत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम सन्तोक नगर के खसरा नम्बर 113 रकबा 4.8481 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 10 ओर से विक्रमसिह भाटी अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से पवन कुमार जोशी उपस्थित हुए। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी की सहमति से उभय पक्षकारों के कब्जे कास्त अनुसार चक्कबन्दी करतें हुऐ अपने–अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करना स्वीकार करने पर प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 18.07.2024 को जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं को सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त भूमि का बटंवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किया जा कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग की है। वादी एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद सहमति व्यक्त करने पर विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

चूकि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद विवादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादी के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया गया है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बापिणी खुर्द की जमाबन्दी सम्वंत 2075—2078 के खाता नम्बर 10 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि

क्रम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	परमी पत्नी मालाराम जाति राईका सा. देह खातेदार	113	0.9680	बारानी चतुर्थ	
2.	अनोपी पत्नी हडमानराम 4880 / 38801, चम्पा पत्नी भैराराम 4880 / 38801, तुलछी पत्नी जेठाराम 3226 / 38801, दाखु पत्नी भीखाराम 4840 / 38801, भंवरी पत्नी रूपाराम 4840 / 38801, भंवरी पत्नी मोहनराम 3227 / 38801, मकु पत्नी सोनाराम 3227 / 38801, लाली पत्नी कानाराम 3227 / 38801, सुगी पत्नी सगताराम 3227 / 38801, सोनी पत्नी	113	3.8801	बारानी चतुर्थ	

सहायक कलेक्टर बापिणी

	नकुराम 3227/38801 वां हिस्सा जाति राईका सा.देह खातेदार				

उक्त खातेदारी भुमि का विभाजन प्रस्ताव सारणी अनुसार पक्षकारों के हिस्से में रखते हुऐ वादी एंव प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखी जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 21/04/2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें अंतिम डिकी पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/08/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता बिश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी